न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
25/2022	22/07/2022	18/4/23

नन्दसिंह पुत्र श्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी ककरावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. दुर्गेश गोतम पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी 185, द्वितीय तल् पटेल नगर मानसरोवर तह. जयपुर जिला जयपुर राज.
3. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत, निवासी ककरावदा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
4. प्रीती पुत्री बजरंगलाल, जाति धाकड, निवासी सीनोता/ककरावदा, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी सीनोता/ककरावदा, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. रामनाथी पत्नी बजरंगलाल, जाति धाकड निवासी सीनोता/ककरावदा, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
7. लेखराज पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी सीनोता/ककरावदा, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
8. नरेन्द्र कुमार पुत्र बजरंगलाल जाति धाकड निवासी सीनोता/ककरावदा, तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

निर्णय

प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा संख्या 212/57 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है जो कि प्रार्थी को मि0 स0 297 दिनांक 22/12/1975 द्वारा आवंटित हुई थी जिस पर नामान्तरकरण न0 116 ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. दिनांक 04/10/1977 को प्रार्थी को गैरखातेदार

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

दर्ज किया गया जो जमाबन्दी संवत 2036–2039 प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। बाद सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट द्वारा कायम किये गये मिलान क्षेत्रफल द्वारा प्रार्थी की आराजी गत खसरा न. 212/57 रकबा 10 बीघा का कोई मिलान क्षेत्रफल कायम नहीं किया गया। विवादित आराजी बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि का कोई मिलान क्षेत्रफल कायम नहीं करते हुये विवादित आराजी गत खसरा न. 212/57 रकबा 10 बीघा भूमि को गत व हाल नक्शा मौकानुसार अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 के खाते हाल ख0 न0 190 रकबा 2.50है0, ख0न. 383/190 रकबा 0.35है0, ख0 न0 191 रकबा 1.37है0, ख0 स0 192 रकबा 1.01है0 ख0न0 195 रकबा 2.10है0 में दर्ज कर दिया है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 के खाते में दर्ज है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। प्रार्थी विवादित आराजी पर पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार काबिज काश्त है तथा प्रार्थी ने आवटंन की समस्त आवंटन राशि जमा करवा दी है। प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार कृषक हो चुका है विवादित आराजी सेटलमेन्ट द्वारा पूर्व सेटलमेन्ट गत ख0न0 212/57 रकबा 10 बीघा भूमि को गत व हाल नक्शा मौकानुसार अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 के खाते हाल ख0 न0 190 रकबा 2.50है0, ख0न. 383/190 रकबा 0.35है0, ख0 न0 191 रकबा 1.37है0, ख0 स0 192 रकबा 1.01है0 ख0न0 195 रकबा 2.10है0 में दर्ज कर दिया है। सेटलमेन्ट को प्रार्थी की आराजी का रकबा बिना किसी अधिकार व आधार के अप्रार्थी क्रम 1, 2 तथा अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त कृत्य अपने अधिकारिता से परे जाकर बिना किसी सक्षम आदेश के अवैधानिक रुप से किया गया है। इस कारण प्रार्थी को अधिकार है कि वह सेटलमेन्ट की त्रुटि को दुरुस्त करवाये तथा पूर्व सेटलमेन्ट गत ख0न0 212/57 रकबा 10 बीघा भूमि को हाल ख0 न0 190 रकबा 2.50है0, ख0न. 383/190 रकबा 0.35है0, ख0 न0 191 रकबा 1.37है0, ख0 न0 192 रकबा 1.01है0 ख0न0 195 रकबा 2.10है0 में से रकबा 1.60है0 भूमि को अपने खाते दर्ज करवाये इस हेतु प्रार्थी इन्द्राज दुरुस्त करवाते हुये अपनी रकबा 1.60है0 भूमि अपने खाते दर्ज करवाये तथा रकबा 1.60है0 भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त पूर्व सेटलमेन्ट अनुसार 10 बीघा भूमि पर चला आ रहा है। किन्तु सेटलमेन्ट द्वारा प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 तथा 4 ता 8 के खाते में दर्ज कर दिया गया है। इस कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त सेटलमेन्ट के पूर्व के अनुसार 10 बीघा अर्थात 1.60है0 भूमि पर चला आ रहा है किन्तु बाद सेटलमेन्ट प्रार्थी के रकबा को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 तथा 4 ता 8 के खाते में दर्ज कर देने के कारण अप्रार्थीगण विवादित आराजी में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं इस कारण प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वह अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये। प्रथम दृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द कर देगें तथा प्रार्थी को विवादित आराजी पर से बेदखल कर देगें तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है जिसका कि मुद्रा में मूल्याकंन संभव नहीं होगा, प्रार्थी को अनावश्यक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने

अंजनी सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ग्राम ककावदा तह पीपल्दा जिला कोटा राज0 हाल ख0 न0 190 रकबा 2.50है0, ख0न. 383/190 रकबा 0.35है0, ख0 न0 191 रकबा 1.37है0, ख0 स0 192 रकबा 1.01है0 ख0न0 195 रकबा 2.10है0. भूमि में प्रार्थी को पूर्व सेटलमेन्ट ख0न0 212/57 रकबा 10 बीघा अर्थात 1.60है0 भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द आदि नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में कथन किया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22/12/1975 को जरिये पट्टा संख्या 207-42 ग्राम ककावता तह. पीपल्दा जिला कोटा राज0 की सरकारी भूमि तत्कालीन ख0 सं0 57 की रकबा 173 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 15 बीघा भूमि गफूर पुत्र रमजानी जाति फकीर मुसलमान निवासी ककरावदा को आवंटित की जाकर जरिये नामातंरकरण संख्या 115, ख0 सं0 211/57 रकबा 15 बीघा भूमि गफूर की गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जिसका इन्द्राज ग्राम ककावता तह. पीपल्दा की सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2036-2039 की खाता संख्या 49 पर दर्ज है। (जमाबन्दी सम्वत् 2036-2039 तथा नामातंरकरण संख्या 115 ग्राम ककावता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।) सेटलमेन्ट सम्वत् 2041-2060 में गत् ख0 सं0 211/57 रकबा 15 बीघा भूमि के नवीन ख0 सं0 190 रकबा 2.75है0 कायम किये जाकर गफूर की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिये गये गफूर की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उसके वारिसों भँवर खॉ, अब्दूल गनी, मॉगीलाल, रफीक मोहम्मद की गैर खातेदारी में दर्ज हुई जिसके बाद नामातंरकरण संख्या 192 दिनांक 8/07/2016 से ख0 सं0 190 रकबा 2.75है0 भूमि में से 2.40है0 भूमि पर भँवर खॉ, अब्दुल गनी, मॉगीलाल, रफीक मोहम्मद की खातेदारी दर्ज कर शेष 0.35है0 भूमि सिवाय चक दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात् भँवर खॉ, अब्दुल गनी, मॉगीलाल, रफीक मोहम्मद द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ग्राम ककावता पटवार हलका सीनोता तह. पीपल्दा की कृषि भूमि ख0 स0 190 रकबा 2.40है0 भूमि अप्रार्थी कम 2 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया गया। अप्रार्थी क्रम 2 स्वयं की क्रयशुदा कृषि भूमि पर क्रय दिनांक से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। जिसका जरिये नामातंरणकरण संख्या 254, दिनांक 22/04/2022 राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है। उक्त भूमि खरीदने के पश्चात् अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा नायब तहसीलदार खातौली के समक्ष क्रय की गई भूमि का सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 16/06/2022 को पटवारी हलका सीनोता द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक बोरदा की उपस्थिति में ग्राम ककावता की खसरा संख्या 190 रकबा 2.40है. भूमि का विधिवत सीमा ज्ञान करवाया गया। तत्पश्चात् से ही अप्रार्थी क्रम 2 उक्त भूमि पर प्रतिज्ञ काबिज खातेदार होकर उपयोग उपभोग करता हुआ चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार, हित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 2 के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम ककावता की ख0 सं0 190 रकबा 2.40है0 भूमि के संबंध मे प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला अथवा सुविधा का संतुलन नहीं हो सकता है और ना ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार से अपरिमित क्षति कारित हो सकती है यदि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम ककावता की ख0 सं0 190 रकबा 2.40है0 भूमि

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित कर दी गई तो अप्रार्थी क्रम 2 को अपरिमित क्षति कारित होगी जिसका द्रव्य मे मूल्याकंन किया जाना संभव नहीं होगा तथा अप्रार्थी क्रम 2 को उसके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पड जायेगा इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष आपत्तियों में कथन किया गया कि वाके ग्राम ककावता तहसील पीपल्दा में बजरंगलाल पुत्र बूढिया जाति धाकड निवासी सीनोता को इंतकाल न0 117 दिनांक 4/10/1977 को ख0सं0 213/57 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। आवंटन दिनांक 04/10/1977 से उपरोक्त भूमि पर बजरंगलाल काबिज काश्त थे, सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि के नवीन ख0 स0 191 रकबा 1.37है0 कायम किये गये, बजरंगलाल की मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 बजरंगलाल के वारिसान है जो कि वर्तमान में नवीन ख0 स0 191 रकबा 1.37है0 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थी को इंतकाल संख्या 116 से ख0सं0 212/57 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी जबकि अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 को इंतकाल संख्या 117 सें ख0सं0 213/57 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। इसलिए प्रार्थी का अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 की भूमि से कोई सबंध नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 खातेदार कृषक हैं जो मौके पर काबिज काश्त है इसलिए खातेदार के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार नहीं है ओर मौके पर काबिज भी नहीं है, मिलान क्षेत्रफल भी नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन और प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति भी नहीं हो रही है क्योंकि प्रार्थी के ख0 सं0. अलग है व अप्रार्थी क्रम 4 ता 8 के ख0स0 अलग है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानी से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी, गफूर पुत्र रमजानी तथा बजरंगलाल पुत्र बूढिया को ग्राम ककावता की गत ख0 स0 57 रकबा 173 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से क्रमशः 10 बीघा, 15 बीघा, 10 बीघा भूमि एक ही दिन दिनांक 22/12/1975 को पृथक–पृथक आवंटित हुई थी जिसका नामातंरकरण सख्या क्रमशः 116, 115, 117 एक ही दिन दिनांक 04/10/1977 स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी क्रम 2 व 4 ता 8 गफूर तथा बजरंगलाल के पदाधार (Footing) पर है। इस प्रकार प्रार्थी तथा अप्रार्थी क्रम 2 व 4 ता 8 के खाते की भूमि अलग–अलग होना स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा उसको आवंटित भूमि का सेटलमेन्ट द्वारा मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाये जाने का कथन किया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा गत ख0 स0 57 रकबा 173 बीघा 5 बिस्वा भूमि का सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का यह कथन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस में काल्पनिक तरीके से हाल ख0 न0 190 रकबा 2.50है0, ख0न. 383/190 रकबा 0.35है0, ख0 न0 191 रकबा 1.37है0, ख0 स0 192 रकबा 1.01है0 ख0न0 195 रकबा 2.10है0. भूमि में सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे 10 बीघा अर्थात 1.60है0 भूमि में स्वयं को आवंटित भूमि होना प्रकट किया है किन्तु इस समर्थन में कोई

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी क्रम 2 व 4 ता 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन स्वयं के पक्ष मे साबित करने में पूर्णतया: असफल रहा है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति भी कारित नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अंजना सहरावत
उपखण्ड जिला कोटा (राज)